राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

परिचय :

भारत में पर्याप्त जल संसाधन क्षमता है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में जल की उपलब्धता अत्यधिक असमान है। यह वर्षा के मौसमी और क्षेत्रीय वितरण के कारण है। अधिकतर वर्षा ग्रीष्म मानसून के महीनों के दौरान होती है। वर्ष के शेष हिस्से में वर्षा बहुत ही नगण्य है। भारत के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बड़े क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है जबकि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में मानसून में बहुत अधिक बारिश होती है। स्थान और समय पर वर्षा के असमान वितरण के कारण, देश के कुछ भाग आवर्ती बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित हैं जबकि कुछ अन्य वर्ष दर वर्ष दीर्घकालिक सूखे के संकट से पीड़ित हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आवर्ती सूखे और बाढ़ की घटनाओं के कारण जीवन और धन का भारी नुकसान हुआ। इसके कारण यह संकल्पना भी की गई कि क्यों न बाढ़ के जल का भंडारण किया जाए और सूखा प्रभावित जरूरत मंद इलाकों में स्थानांतरित किया जाए। जब "नहर की माला" और "गंगा-कावेरी लिंक" की अवधारणाओं को अभिव्यक्त किया गया था, तो इन्हें संसाधन-तंग भारत के लिए बहुत महंगा पाया गया था। इसने आगे एक वैकल्पिक "राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना" (एन.पी.पी.) का रास्ता दिखाया, जो जल संसाधन मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था, जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन और परीक्षण करने के बाद अधिशेष क्षेत्रों से जल के अंतरण की परिकल्पना की गई थी। एन.पी.पी. के प्रस्तावों को यथार्थपूर्ण रूप देने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) जुलाई, 1982 में अस्तित्व में आया था।

रा.ज.वि.अ. के कार्य:-

क. संभाव्य जलाशय स्थलों एवं अंतर्योजन के विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यान्वित करने हेतु ताकि जल संसाधन विकास के लिए तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण) और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंगभूत प्रायद्वीपीय नदियां विकास घटक और हिमालयी नदियां विकास घटक के प्रस्ताव की संभाव्यता स्थापित करना।

ख. विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों और हिमालयी नदी प्रणालियों में जल की मात्रा के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण कार्यान्वित करना, जिसे निकट भविष्य में बेसिन/राज्यों की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अन्य घाटियों/राज्यों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

ग. प्रायद्वीपीय नदियों के विकास और हिमालयी नदियों के विकास से संबंधित योजना के विभिन्न घटकों का संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करना।

घ. संबंधित राज्यों की मतैक्यता के बाद जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी के लिंक प्रस्तावों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना।

ङ. अंत:राज्यीय लिंकों, जैसा राज्यों द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है, की पूर्व-संभाव्यता / संभाव्यता (2006) / विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (2011) तैयार करना।

ज. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य ऐसे सभी कार्य करना जो सोसाइटी द्वारा आवश्यक , आकस्मिक, अनुपूरक या अनुकूल समझे जा सकते हैं।

मुख्यालय एवं संगठनात्मक व्यवस्था :-

रा.ज.वि.अ. का नेतृत्व भारत सरकार के अपर सचिव के पद के महानिदेशक द्वारा किया जाता है। वह सोसायटी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं, सोसाइटी के मामलों और धन के उचित प्रशासन के लिए तथा सोसाइटी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय में रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक की सहायता, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), निदेशक (प्रशासन), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), निदेशक (बहुउद्देशीय इकाई) और दो अधीक्षण अभियंता करते हैं। रा.ज.वि.अ. के दो क्षेत्रीय संगठन हैं, जिनमें प्रत्येक की एक मुख्य अभियंता अगुवाई करता है, पाँच अंचलों की अगुवाई अधीक्षक अभियंता करते हैं, मुख्य अभियंता (दक्षिण) से एक अधीक्षक अभियंता भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, एक कार्यकारी अभियंता (प्रत्येक) की अगुवाई में 16 प्रभाग होते हैं और 4 उप-प्रभागों की अगुवाई एक सहायक कार्यकारी अभियंता/सहायक अभियंता (प्रत्येक) करते हैं।

कर्मचारियों की संख्या :-

रा.ज.वि.अ. की वर्तमान स्वीकृत कर्मचारी संख्या 31 मार्च 2009 को 637 है। इसमें से 588 पद भरे गए हैं और 49 पद रिक्त हैं। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवा में आरक्षण और अन्य लाभों के बारे में आरक्षण प्रदान करने के बारे में समय-समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का रा.ज.वि.अ. पालन कर रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान सीधी भर्ती द्वारा कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नियुक्त नहीं हुए।

रा.ज.वि.अ. की अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व/शारीरिक विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/सामान्य को इंगित करते हुए 31 मार्च 2009 को कर्मचारी संख्या (समूह-वार) निम्नानुसार है:

31.03.2009 को रा.ज.वि.अ. की कर्मचारी संख्या (समूह-वार)

समूह	स्वीकृत	भरे हुए पद							रिक्त पद
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	शा.वि.	भू.सै.	सामान्य	कुल	
समूह-क	68	4	-	-	-	-	59	**63**	5
समूह-ख (राजपत्रित)	65	10	-	1	-	-	50	**61**	4
समूह-ख (अराजपत्रित)	16	3	-	-	-	-	13	**16**	-
समूह-ग	364	50	19	12	6	2	239	**328**	36
समूह-घ	124	36	10	1	2	3	68	**128**	4
Total	**637**	**103**	**29**	**14**	**8**	**5**	**429**	**588**	49

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का सर्वोच्च निकाय है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिकरण की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करने तथा ऐसे नीति निर्देश , जिन्हें सोसाइटी उचित समझती है, जारी करने हेतु वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक आहूत करती है। माननीय केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सोसाइटी के कार्य-संचालन हेतु अध्यक्ष उन अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जो सोसाइटी द्वारा उन्हें प्रदत्त किए गए हों। इसके अतिरिक्त, सोसाइटी के कामकाज और प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने और सोसाइटी के कुशल संचालन के लिए समितियों या आयोगों को नियुक्त करने या सोसाइटी के मामले में पूछताछ करने और रिपोर्ट करने तथा ऐसे आदेश पारित करने , जो उनके द्वारा उचित समझे जाते हों, के अधिकार भी अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं।

रा.ज.वि.अ. की स्थापना के बाद से, सोसाइटी की 24 वार्षिक आम बैठकें 31.03.2009 तक आयोजित की गई हैं। रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की 24 वीं वार्षिक आम बैठक नई दिल्ली में 09.07.2008 को हुई थी। माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री; माननीय मंत्री (प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई), आंध्र प्रदेश सरकार; माननीय मंत्री (सिंचाई), असम सरकार; माननीय मंत्री (लोक निर्माण एवं सिंचाई), हरियाणा सरकार; माननीय मंत्री (जल संसाधन), केरल सरकार; माननीय मंत्री (लोक निर्माण और कानून), तमिलनाडु सरकार और केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा आंध्र प्रदेश , असम, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पांडुचेरी, झारखंड, तमिलनाडु जैसे विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

कार्यों की प्रगति एवं अध्ययनों की वस्तुस्थिति, रा.ज.वि.अ. द्वारा संबंधित राज्यों के बीच आम मतैक्यता के लिए किए गए प्रयासों, 2007-08 के अंतिम अनुमान, 2008-09 के लिए बजट अनुमान और 11 वीं योजना परिव्यय की कार्य सूची मदों पर चर्चा हुई।

रा.ज.वि.अ. के सदस्य

1.	केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण	अध्यक्ष
2.	केंद्रीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण	उपाध्यक्ष
3.	सदस्य (कृषि एवं जल संसाधन), नीति आयोग	सदस्य
4.	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी के मुख्य मंत्री / मंत्रीगण तथा सचिवगण या उनके नामिती व्यक्ति जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों।	सदस्य
5.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)	सदस्य
7.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	सदस्य
8.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
10.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, नीति आयोग	सदस्य
12.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
13.	अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड	सदस्य
14.	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
15.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
16.	सदस्य (डब्ल्यू.पी. एण्ड पी.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
17.	सदस्य (डी. एण्ड आर.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
18.	महानिदेशक या उनके नामिती जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद से कनिष्ठ न हों, भारत मौसम विज्ञान विभाग	सदस्य
19.	महानिदेशक या उनके नामिती जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद से कनिष्ठ न हों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	सदस्य
20.	भारत के महासर्वेक्षक या उनके नामिती, भारतीय सर्वेक्षण	सदस्य

21.	निदेशक या उनके प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
23.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
24.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य-सचिव

शासी निकाय

रा.ज.वि.अ. का शासी निकाय (शा.नि.), सचिव, (जल संसाधन), भारत सरकार की अध्यक्षता में सोसाइटी के नियमों, उप-नियमों और आदेशों के अनुसार सोसायटी के कार्यों और निधियों को प्रबंधित, संचालित, निर्दिष्ट और नियंत्रित करता है तथा आमतौर पर सोसाइटी की गतिविधियों को जारी रखता है एवं कार्यान्वित करता है, एवं ऐसा करते हुए, सोसाइटी के संस्थापन ज्ञापन में निर्धारित नीति निर्देशों और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए लागू करता है। रा.ज.वि.अ. की स्थापना से 31.03.2009 तक शासी निकाय की 52 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

नई दिल्ली में 19.12.2008 को रा.ज.वि.अ. की शासी निकाय की 52 वीं बैठक आयोजित की गई थी। श्री उमेश नारायण पंजियार, सचिव (जल संसाधन) और अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। बैठक में रा.ज.वि.अ., केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, विभिन्न कार्यसूची मदों अर्थात शासी निकाय की 51 वीं बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि एवं लिये गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही, कार्य की प्रगति और अध्ययनों की स्थिति, पार्बती-कालीसिंध-चंबल, पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल लिंक पर संबंधित राज्यों के बीच एक मतैक्यता पर पहुंचने के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा किए गए प्रयासों, वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन और संपरीक्षित लेखों, वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमान और 2006-07 के दौरान व्यय आदि पर चर्चा हुई। शासी निकाय ने विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती नियमों को भी स्वीकृत किया, जो सचिव (जल संसाधन) द्वारा अनुमोदित किया गया जो कि शासी निकाय के अध्यक्ष थे। शासी निकाय ने रा.ज.वि.अ. के अध्यक्ष, शासी निकाय और महानिदेशक की संशोधित वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा, शासी निकाय ने रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) की नई दिल्ली में 12.09.2008 को हुई 37 वीं बैठक में किए गए फैसले का भी संज्ञान लिया।

रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय के सदस्य गण

1.	सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)	सदस्य
3.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
4.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)	सदस्य
5.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों,	सदस्य

	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
6.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों , नीति आयोग	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
9.	अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड	सदस्य
10.	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
11.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
12.	सदस्य (डब्ल्यू.पी. एण्ड पी.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
13.	सदस्य (डी. एण्ड आर.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
14.	महानिदेशक या उनके नामिती जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद से कनिष्ठ न हों , भारत मौसम विज्ञान विभाग	सदस्य
15.	संयुक्त सचिव (पी.पी), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
16.	आयुक्त (एस.पी), जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
17.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, आंध्र प्रदेश	सदस्य
18.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, असम	सदस्य
19.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, बिहार	सदस्य
20.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, छत्तीसगढ़	सदस्य
21.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, गुजरात	सदस्य
22.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, हरियाणा	सदस्य
23.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, झारखंड	सदस्य
24.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, कर्नाटक	सदस्य
25.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, केरल	सदस्य
26.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, मध्य प्रदेश	सदस्य

27.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, महाराष्ट्र	सदस्य
28.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, ओडिशा	सदस्य
29.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, पंजाब	सदस्य
30.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, राजस्थान	सदस्य
31.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, तमिल नाडु	सदस्य
32.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, उत्तराखंड	सदस्य
33.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, उत्तर प्रदेश	सदस्य
34.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, पश्चिम बंगाल	सदस्य
35.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, पांडुचेरी	सदस्य
36.	सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, तेलंगाना	सदस्य
37.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य-सचिव

तकनीकी सलाहकार समिति

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के शासी निकाय ने अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों का परीक्षण एवं जांच करने हेतु केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) का गठन किया है। रा.ज.वि.अ. की 10.03.2006 को आयोजित शासी निकाय की 48 वीं बैठक में रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रितों के रूप में प्रमुख अभियंता , जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार; मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार; प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार को अनुमोदित किया है। तदनुसार, रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति का पुनर्गठन मई, 2006 के दौरान शासी निकाय, रा.ज.वि.अ. द्वारा किया गया है। रा.ज.वि.अ. की स्थापना के बाद से त.स.स. की 37 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) की तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) की 12 वीं बैठक 12.09.2008 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री ए.के. बजाज की अध्यक्षता में हुई थी। केन्द्रीय सरकार संगठनों के सदस्यों और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान सहभागिता की। एन.पी.पी. के प्रायद्वीपीय घटक के तहत, महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-कावेरी-वैगई-गुंडार लिंक प्रणाली से 9 लिंकों के संभाव्यता प्रतिवेदन और एन.पी.पी. के हिमालयी घटक के तहत जोगीघोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक परियोजना के पूर्व-संभाव्यता प्रतिवेदन पर बैठक के दौरान चर्चा और विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा अंतर-बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों (राजस्थान-साबरमती लिंक) से भूजल पुनर्भरण के लिए प्रारंभिक अध्ययन

पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान यह भी मतैक्यता जताई गई कि रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार किए गए अंत:राज्यीय लिंक प्रस्तावों के लिए अंतर-बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों के लिए 1996 में त.स.स. द्वारा पहले ही अनुमोदित पूर्व-संभाव्यता/संभाव्यता प्रतिवेदनों की तैयारी के लिए तकनीकी दिशानिर्देशों का पालन किया जा सकता है।

रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति की अब तक 40 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यगण

1.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	सदस्य (डब्ल्यू.पी. एण्ड पी.), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
3.	सदस्य (डी. एण्ड आर.), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
4.	सदस्य (एच.ई.), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सलाहकार (आई.ए.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	**महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता**	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड	सदस्य
9.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
10.	निदेशक/वैज्ञानिक (एफ.), राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की	सदस्य
11.	अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा	सदस्य
12.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
विशेष आमंत्रित		
1.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	
2.	मुख्य अभियंता एवं संयुक्त सचिव, नर्मदा एवं जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार	
3.	प्रमुख अभियंता (अंत:राज्यीय एवं जल संसाधन), सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	
4.	प्रमुख अभियंता (बोधी), जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	
5.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन) एवं संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार	
6.	मुख्य अभियंता, अंत:राज्यीय जल, केरल सरकार	
7.	मुख्य अभियंता (सिंचाई, अभिकल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई इकाई, राजस्थान सरकार	

8.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन संगठन, तमिल नाडु सरकार
9.	मुख्य अभियंता, केंद्रीय योजना इकाई, सिंचाई विभाग, ओडिशा सरकार
10.	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जल संसाधन विकास संगठन, कर्नाटक सरकार
11.	मुख्य अभियंता (उद्वहन नहरें), सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार
12.	मुख्य अभियंता, पी.पी. प्रकोष्ठ, जल संसाधन विकास, बिहार सरकार
13.	मुख्य अभियंता (अभिकल्प एवं अनुसंधान, सिंचाई एवं जलमार्ग निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार
14.	मुख्य अभियंता (पी. एण्ड डी.), ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, असम
15.	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, असम सरकार
16.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन), सिंचाई कार्य, पंजाब सरकार
17.	मुख्य अभियंता (आई. एण्ड एफ.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार
18.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार
19.	मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार
20.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार

(31.03.2009 को कुल सदस्य.....12)
(31.03.2009 को कुल विशेष आमंत्रित.....20)